

!! कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक : स्था./21/2024/5222

दिनांक : 8/2/24

:: आ दे श ::

I

निम्नांकित कर्मचारीगण के सामने कॉलम संख्या-4 में अंकित न्यायालय में की गयी प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था को प्रशासनिक आधार पर तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	प्रतिनियुक्ति न्यायालय
1	2	3	4
1	श्री प्रेम सिंह, रीडर ग्रेड प्रथम	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 5, अलवर	जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर
2	श्री ललित कुमार शर्मा, रीडर ग्रेड द्वितीय	अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1, अलवर	जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर
3	श्री गिरीश कुमार, लिपिक ग्रेड प्रथम	जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर	वाणिज्यिक न्यायालय, अलवर
4	श्री मुरली मनोहर, लिपिक ग्रेड प्रथम	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, थानागाजी	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 1, बहरोड
5	श्री पायलेट अरोडा, शरिस्तेदार ग्रेड तृतीय.	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन. आई.एक्ट केसेज) सं. 3, अलवर	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट केसेज) सं. 2, अलवर

नोट :- क.सं. 2 पर अंकित कर्मचारी श्री ललित कुमार शर्मा अपने मूल पदस्थापन कार्यालय में लिपिकीय कार्य करेंगे।

II

निम्नांकित कर्मचारीगण का स्थानान्तरण/पदस्थापन, प्रशासनिक आधार पर तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	वर्तमान पद व न्यायालय	नवीन पद व न्यायालय	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री प्रशान्त शर्मा (ON REQUEST)	लिपिक ग्रेड द्वितीय पारिवारिक न्यायालय सं. 1, अलवर	लिपिक ग्रेड द्वितीय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठूमर	श्री त्रिलोक चौधरी के स्थान पर
2	श्री त्रिलोक चौधरी (ON REQUEST)	लिपिक ग्रेड द्वितीय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कठूमर	लिपिक ग्रेड द्वितीय पारिवारिक न्यायालय सं. 1, अलवर	श्री प्रशान्त शर्मा के स्थान पर
3	श्री देवेन्द्र मीना (ON REQUEST)	लिपिक ग्रेड द्वितीय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, बहरोड	लिपिक ग्रेड द्वितीय अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ	श्री विजय कुमार पूनिया के स्थान पर
4	श्री विजय कुमार पूनिया (ON REQUEST)	लिपिक ग्रेड द्वितीय अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ	लिपिक ग्रेड द्वितीय अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, बहरोड	श्री देवेन्द्र मीना के स्थान पर

जिला एवं सेशन न्यायाधीश

III

निम्नांकित कर्मचारीगण को प्रशासनिक कार्यव्यवस्था के तहत तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेश तक कार्य करने हेतु निम्न प्रकार लगाया जाता है :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मरा पद	मूल पदस्थापन न्यायालय	कार्यव्यवस्था न्यायालय
1	2	3	4
1	श्री प्रेम सिंह, रीडर ग्रेड प्रथम	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 5, अलवर	वाणिज्यिक न्यायालय, अलवर (लिपिकीय कार्य करेंगे)
2	श्री मुरली मनोहर, लिपिक ग्रेड प्रथम	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, थानागाजी	जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर (सेशन लिपिक का कार्य करेंगे)
3	श्री पायलेट अरोडा, लिपिक ग्रेड प्रथम	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन. आई.एक्ट केसेज) सं. 3, अलवर	जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर (दीवानी लिपिक का कार्य करेंगे)

- नोट- 1- कार्यालय आदेशों की पालना 05 कार्य दिवसों में आवश्यक रूप से की जाये।  
 2- आदेश क्रम-I में अंकित जिन कर्मचारीगण की पूर्व प्रतिनियुक्ति न्यायालय से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर, सीधे ही आदेश क्रम- III में अंकित न्यायालय में कार्यव्यवस्था में लगाया गया है, उन कर्मचारीगण को पूर्व प्रतिनियुक्ति कार्यालय से औपचारिक रूप से कार्यभार मुक्त कर सीधे ही कार्यव्यवस्था कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जावे।  
 3- जिन कर्मचारीगण का स्थानान्तरण स्वयं की प्रार्थना पर किया गया है, उन्हें इस स्थानान्तरण पर योगकाल एवं यात्राभत्ता देय नहीं होगा।  
 4- कर्मचारियों की कार्यमुक्ति आदेश व उपस्थिति रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

sd/-  
( हरेन्द्र सिंह )  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
अ ल व र

क्रमांक : स्था./2024/5223 - 55

दिनांक : 8/2/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय सं. 1, अलवर
- 2- न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, अलवर
- 3- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं. 5 अलवर/थानागाजी/सं. 1 बहरोड
- 4- अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1 अलवर/कठूमर/सं. 2 बहरोड
- 5- विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट केसेज) सं. 2 अलवर/सं. 3 अलवर
- 6- अति० सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ
- 7- संबंधित कर्मचारी .....
- 8- लेखाशाखा/व्यक्तिगत पत्रावली/रक्षित पत्रावली
- 9-  सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई-मेल करने हेतु।

sd/-  
( हरेन्द्र सिंह )  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
अ ल व र